इटारसी

की

जलप्रदाय आवर्धन योजना

का अध्ययन

रेहमत
मंथन अध्ययन केन्द्र, बड़वानी
manthan.kendra@gmail.com
फोन – 07290 - 222857

प्रस्तावना

विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के प्रभाव में दुनियाभर में नीतिगत बदलाव हुए हैं। अपने देश में भी नेशनल अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (50 करोड़ डॉलर), नेशनल अरबन रिफॉर्म फण्ड (40 करोड़ डॉलर) जैसे छोटे कर्जों और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एवं केपेसिटी बिल्डिंग (4 करोड़ डॉलर) जैसी तकनीकी सहायता के कारण जलक्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। जिससे जलप्रदाय व्यवस्था के परिदृष्य में आमूलचूल बदलाव आया है। इसी के परिणामस्वरूप देशभर में जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के नए नाम पर पानी के निजीकरण जारी है। पहले यह **जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन** (JnNURM) और इसके तहत **छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना** (UIDSSMT) के माध्यम से जारी रहा जो अब नए नाम से जारी रहेगा।

UIDSSMT के प्रति देशभर के नगरीय निकायों ने अच्छा उत्साह दिखाया। अगस्त 2010 तक के पहले ढाई वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19,936 करोड़ रुपए की लागत वाली 979 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनमें से 10,478 करोड़ रुपए की 524 योजनाएँ जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की संख्या 843 थी जिनकी कुल लागत 18,506 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार यूआईडीएसएसएमटी में 93% राशि पानी से संबंधित योजनाओं पर खर्च की गई।

मध्यप्रदेश में भी यूआईडीएसएसएमटी की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ा है। जुलाई 2014 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के 113 शहरों में 2857 करोड़ रुपए की 180 योजनाएँ जारी है जिनमें से 2367 करोड़ रुपए की लागत वाली 99 शहरों की 114 योजनाएँ पानी संबंधित है। होशंगाबाद की योजना नाम के लिए जुलाई 2014 से प्रारंभ हो चुकी है लेकिन इसका संचालन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पिपरिया को अनुदान की दूसरी किश्त मिल चुकी है लेकिन क्रियांवयन के मामले में बहुत पिछड़ी है। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार इटारसी की योजना निर्माण में अत्यधिक पिछड़ी है। तेंदूखेड़ा और करेली में भी इन योजनाओं को लागू किया जाना है।

UIDSSMT के तहत मध्यप्रदेश की खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। इन योजनाओं में लगने वाला 90% धन इस देश की जनता का है लेकिन छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को सारे मुनाफे का मालिक बना दिया गया है। UIDSSMT में जलप्रदाय योजनाओं का पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है तथा वहाँ इसका विरोध जारी है।

UIDSSMT मार्च 2014 में समाप्त किया जा चुका है। अत: जलप्रदाय व्यवस्था के निजीकरण को छोटे–बड़े हर नगरीय निकाय तक सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** बनाई है जिसमें पहले से ही तय है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही जलप्रदाय योजनाएँ संचालित की जाएगी। पानी के लिए हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पहले चरण में 37 नगरों में लागू की गई थी। योजना के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 651 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा मार्च 2014 तक 977 करोड़ की 72 योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी है। योजना में तरीचर कलां, टोंक खुर्द और नामली जैसे ग्रामीण क्षेत्र, भीकनगाँव, कुक्षी, बदनावर और बड़वानी जैसे छोटे निकाय और धार, शहडौल और नीमच जैसे मझौले नगर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना भी जारी है जिसके तहत 70 प्रतिशत केन्द्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 157 करोड़ की 11 योजनाएँ स्वीकृत हैं जिनमें से सेंधवा, महेश्वर और आलीराजपुर की योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। सेंधवा में योजना के प्रभावों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

मध्यप्रदेश के 360 शहरों में पेयजल वितरण की स्थिति

प्रतिदिन	1 दिन छोड़कर	2 दिन छोड़कर	3 या अधिक दिन छोड़कर
176	97	47	40

स्रोत – मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना दस्तावेज

वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ संचालित करने हेतु 'मध्यप्रदेश जल निगम' का गठन कर इसे पेयजल प्रदाय एवं मल निकास के संबंध नीतिगत निर्णय हेतु राज्य की शीर्ष संस्था का दर्जा दिया है। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हैं तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित, संचालित ग्रामीण समूह नलजल योजनाओं को भी जल निगम को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है।

चूँकि जल निगम के लिए निधि राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त करने का भी प्रावधान रखा गया है इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में 69.80 करोड़ बुंदेलखण्ड राहत पैकेज से तथा नर्मदा शिप्रा लिंक योजना 10 करोड़ रुपए भी अंतरित किए हैं। साथ ही 400 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लिया है।

जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों, डिवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल वसूली का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है। लेकिन वर्तमान में जारी टेण्डर और पात्रता की अभिरुचि (आरएफक्यू) से पता चलता है कि ये योजनाएँ या तो 10 वर्षों के संचालन–संधारण या फिर आकल्पन, निर्माण, निवेश, संचालन और वापसी (DBFOT) के तहत निजी कंपनियों को दिया जाना प्रस्तावित की गई है

जल निगम अब तक 73 समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी जा चुका है जिनसे 3175 गाँव लाभान्वित होने हैं। सीहोर जिले की मर्दानपुर समूह योजना तथा रायसेन जिले की सेमरीकलां समूह योजनाएँ अपेक्षाकृत बड़ी है जिनसे क्रमश: 182 एवं 105 गाँवों के लाभांवित होने की बात कहीं गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नर्मदा–क्षिप्रा लिंक को भी समूह योजना मानते हुए इससे 331 गाँवों के लाभांन्वित होने जिक्र है।

जुलाई 2013 में प्रदेश सरकार ने **म॰प्र॰ जल विनियमन कानून** पारित किया है। इस कानून के तहत बनने वाला **जल विनियामक आयोग** प्रदेश में बाजार के सिद्धातों के अनुसार पानी का उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ लेने की क्षमता पानी का व्यापार करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत नागरिकों के जल अधिकारों को नकार दिया जाएगा।

इटारसी की जलप्रदाय योजना

इटारसी देश के प्रमुख रेल्वे मार्गों पर स्थित जंक्शन है और होशंगाबाद जिले का एक प्रमुख नगर है। करीब 50 वर्ग किमी के दायरे में फैले 34 वार्डों के नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 99,330 है। होशंगाबाद जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1340 मिमी है। यहाँ भूजल संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध है।

वर्तमान जलप्रदाय तंत्र

इटारसी का जलप्रदाय तंत्र मुख्य रूप से ट्यूबवेल, हेण्डपंप और कुओं यानी भूजल पर आधारित है। नगर में 150 मिमी से 300 मिमी चौड़े 55 बोरवेल हैं। जिनसे प्रति घण्टा 1,98,000 गैलन[1] या 8,98,920 लीटर पानी मिलता है। इस प्रकार दिन में 12 घंटे पंप चलाने पर करीब 10.78 एमएलडी जलप्रदाय होता है जो इटारसी की वर्ष 2011 की जनसंख्या 99,330 को 108 लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से प्रदाय किया जा सकता है। यदि वितरण हानियाँ 10 प्रतिशत[2] मानकर उन्हें कम कर दिया जाए तो भी इटारसी के हर नागरिक को 97 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय किया जा सकता है जो निर्धारित मानक से अधिक है।

नगर में 3413 घरेलू तथा 25 गैरघरेलू नल कनेक्शन है।[3] घरेलू जलप्रदाय की दर 80 रूपए प्रतिमाह है। 2542 किलोलीटर क्षमता की 6 ओवरहेड टंकियाँ है। इटारसी में वितरण नेटवर्क 50 मिमी से 250 मिमी व्यास के सीआई और एसीपी पाईपों का है जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है।

डीपीआर के अनुसार नगर के वितरण तंत्र को बहुत ही पुराना और उचित देखभाल के अभाव में अप्रभावी बताते हुए कहा गया है कि नगर की आबादी बढ़ने के कारण पाईपों का व्यास अपर्याप्त साबित हो रहा है।[4] साथ ही नई योजना के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि ट्यूबवेलों पर निर्भरता पिछले एक दशक में कम हुई है। इसलिए नगर में पिछले एक दशक से जारी जलप्रदाय की समस्या के कारण एक नए पूर्ण विश्वसनीय स्रोत से जलप्रदाय की पूरी नई योजना बनाने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। इसी आधार पर नगर पालिका ने नई जलप्रदाय योजना पर काम प्रारंभ किया।

नई योजना और उसका डीपीआर

इटारसी की योजना का डीपीआर कंसलटेंट ने 25 नवंबर 2005 को नगरपालिका को प्रस्तुत किया था जिसका नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा करीब 2 माह तक अध्ययन करने के बाद 27 जनवरी 2006 में आयोजित नगरपालिका के व्यापक सम्मेलन में इसे स्वीकृति दी गई। 4 फरवरी 2006 को इसे यूआईडीएसएसएमटी की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को भिजवाया गया। योजना को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 11 जुलाई 2006 को वित्तीय स्वीकृति तथा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति से 27 जुलाई 2009 को तकनीकी मंजूरी मिली।

डीपीआर में इटारसी की अगले 30 वर्षों की जरूरत के हिसाब से योजना का रूपांकन किया गया है लेकिन ये 30 वर्ष कब होंगें इस इस बारे में अलग–अलग पन्नों पर अलग–अलग जानकारी है। डीपीआर के कवर पर योजना रूपांकन वर्ष 2037-38 है जबकि पृष्ठ-i पर वर्ष 2040 अंकित है। इसी प्रकार पृष्ठ-ii और पृष्ठ-iii पर यही वर्ष क्रमशः 2038 एवं 2035 है। थोड़ा आगे बढ़ने पर पृष्ठ-7 और पृष्ठ-9 पर फिर से योजना का रूपांकन वर्ष 2040 दिया गया है।

---

[1] प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों में ऐसे आँकड़े रखने की न तो परम्परा रही है और न ही ऐसी कोई सुविधा है। लेकिन कंसलटेंट ने अपने डीपीआर में जल उपलब्धता के इसी आँकड़े का उल्लेख करते हुए इटारसी में नई योजना की वकालत की है। चूँकि इटारसी की नई जलप्रदाय का आधार ही यह आँकड़ा है इसलिए आगे की गणना में इसी आँकड़े का आधार लिया गया है।

[2] इटारसी में विकेन्द्रित जलप्रदाय तंत्र इसलिए हमारे आंकलन से इससे ज्यादा हानि नही होगी।

[3] डीपीआर पृष्ठ-3.

[4] डीपीआर पृष्ठ-3.

डीपीआर के कवर पृष्ठ पर योजना लागत 1529.29 लाख का उल्लेख है जबकि पृष्ठ-7 पर यही लागत 1607.39 लाख है।[5] इसी प्रकार पृष्ठ-ii पर योजना के पहले चरण की पंपिग क्षमता 16 एमएलडी तो पृष्ठ-5 पर 20.50 एमएलडी बताई गई है। दूसरी चरण की पंपिंग क्षमता कहीं 27 एमएलडी तो कहीं 35 एमएलडी दर्शाई गई। रूपांकन वर्ष की जनसंख्या कहीं 2,20,000 तो कहीं 2,25,000 दी गई है।[6] आँकड़ों की लापरवाही पूर्ण प्रस्तुति के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वास्तव में डीपीआर इटारसी की किस वर्ष की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है और योजना कब आकार लेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता।

तवा जल आवर्धन योजना लागत

अ॰क्र॰	**मद**	**लागत** (लाख रूपए)
1	इंटेक वेल से फिल्टर प्लांट तक 0.5 किमी 600mm DI रॉ वाटर पंपिंग मैनलाईन	37.43
2	फिल्टर प्लांट से नगर तक 13 किमी 600mm DI क्लियर वाटर लाईन	803.76
3	मेहराघाट पर 16 mld पंपिग क्षमता सहित पंप हाउस	44.10
4	4300 किली क्षमता की 5 ओवर हेड टंकियाँ	225.75
5	200-450 mm की 5 किमी CI राइजिंग/वितरण लाईनें	135.84
6	15.25 mld क्षमता का फिल्टर प्लांट और पंप हाउस	228.16
योग		**1475.04**
	आकस्मिक 3%	44.25
7	हाई टेंशन फीडर से विद्युत कनेक्शन	10.00
कुल लागत		**1529.29**

स्रोत–इटारसी डीपीआर पृ–65

पृष्ठ-ii पर डीपीआर बनाने में CPHEEO दिशानिर्देशों[7] के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का जिक्र है लेकिन इसी पृष्ठ पर नगर के लिए जलप्रदाय मानक 135 लीटर/व्यक्ति/दिन (एलपीसीडी) के हिसाब से गणना कर CPHEEO दिशानिर्देशों का तत्काल उल्लंघन कर दिया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार इटारसी छोटे जैसे नगरों के लिए नल कनेक्शनधारी परिवारों के लिए जलप्रदाय मानक 70 लीटर/व्यक्ति/दिन और सार्वजनिक नलों से पानी लेने वाले परिवारों के यह मानक 40 लीटर/व्यक्ति/दिन है।

[5] डीपीआर के पृष्ठ-65 पर अंको में लागत 15.2929 करोड़ है जबकि शब्दों में 15 करोड़ 46 लाख 96 हजार। पृष्ठ-77 लागत का यही आँकड़ा 16.0781 करोड़ हो गया है।

[6] इसी प्रकार पहले चरण की शुद्धिकरण क्षमता 15.25 और 16.30 एमएलडी तथा दूसरे चरण की 25.50 और 30.375 एमएलडी उल्लेखित है।

[7] केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation) की जलप्रदाय एवं जल शुद्धिकरण पर 797 पृष्ठों की एक वृहत मार्गदर्शिका प्रकाशित है। देशभर में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए इसी मार्गदर्शिका का आधार लिया जाता है।

इस डीपीआर की एक विशेषता है कि जैसे–जैसे इसके पन्ने पलटो योजना का स्वरूप ही बदल कर एक नई योजना सामने आ जाती है।[8] डीपीआर के शुरूआती पृष्ठों में योजना के तहत संपूर्ण जलप्रदाय आवर्धन तवा नदी (मेहराघाट) से करने की बात कही गई है। पृष्ठ-3 पर वर्तमान जलप्रदाय तंत्र को 'बहुत ही पुराना' और 'अप्रभावी' बताते हुए संपूर्ण नई योजना के निर्माण की वकालत की गई है। दो चरणों में किए जाने वाला संपूर्ण जल आवर्धन तवा से ही करने का उल्लेख है। लेकिन पृष्ठ-7 के दूसरे पैरे तक पहुँचने तक योजना की क्षमता सहित पूरी योजना ही बदल जाती है। इस योजना में 27 एमएलडी जल आवर्धन तवा नदी से तथा शेष 8 एमएलडी आवर्धन उसी वर्तमान तंत्र धोखेड़ा से पूरे योजनाकाल यानी 30 वर्षों तक जारी रखने का उल्लेख किया गया है[9] जिसे कंसलटेंट ने मृतप्रायः बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया था।

पृष्ठ-7 के तीसरे पैरे में दूसरे पैरे की अपेक्षा विरोधाभाषी कथन करते हुए एक बार फिर से ट्यूबवेल को अविश्वसनीय स्रोत बताते हुए तवा नदी को एकमात्र विश्वसनीय स्रोत माना गया है। आगे जाकर यही ट्यूबवेल फिर से विश्वसनीय बन गए। यदि ट्यूबवेल इतना अविश्वसनीय स्रोत है तो एक चौथाई जलप्रदाय को अगले 30 वर्षों तक नगर को इन पर निर्भर क्यों बनाया जा रहा है?

पृष्ठ-10 पर पहले चरण[10] (वर्ष 2025 तक) में तवा नदी पर 16 एमएलडी की पंपिंग मशीनरी और 15.25 एमएलडी के फिल्टर प्लांट निर्माण की बात कहीं गई है। यदि कंसलटेंट के अनुसार मृतप्रायः वर्तमान जलप्रदाय तंत्र का उपयोग करते हुए टयूबवेलों से 8 एमएलडी जलप्रदाय किया जाना है तो पहले चरण में तवा नदी पर सिर्फ 8 एमएलडी की पंपिंग मशीनरी की ही जरूरत होगी। फिल्टर प्लांट की भी आधी क्षमता की ही जरूरत होगी। यदि यह मान भी लें कि नगरपालिका वर्तमान जलप्रदाय तंत्र को उपयोग में लेना भी चाहती है तो प्रथम चरण में मेहराघाट पर 16 एमएलडी की पंपिंग मशीनरी और अन्य बुनियादी ढाँचे पर अनावश्यक निवेश कर सार्वजनिक धन की बर्बादी का क्या अर्थ है?

पृष्ठ-11 पर योजना में केवल 5 किमी नई वितरण लाईन[11] का प्रावधान किया गया है तथा शेष वर्तमान वितरण लाईनों के ही उपयोग का जिक्र है। जबकि पृष्ठ-3 पर वर्तमान लाईनों को बहुत पुरानी बताते हुए बदलने की बात कही गई है।

अपारदर्शी तरीके से चयनित कंसलटेंसी फर्म वास्तुशिल्पी ने योजना को बहुत हल्के ढंग से लिया। लाखों रूपयों की फीस वसूलने वाले कंसलटेंट ने योजना के सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज डीपीआर (Detailed Project Report) में तथ्यों और आँकड़ों को जिस लापरवाही से प्रस्तुत किया गया है वह अत्यधिक दुखद है। चूँकि नगरपालिका ने इस मामले अत्यधिक गोपनीयता बरती थी इसलिए सलाहकार

---

[8] अन्य नगरों की योजनाओं से कॉपी–पेस्ट करने के कारण संभवत: ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस प्रकार बड़ी गलतियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना बहुत गंभीर है।

[9] योजना का डीपीआर पृष्ठ-10 पर इसी तथ्य को फिर से विशेष रूप से दोहराया गया है।

[10] पृष्ठ-20. डीपीआर में योजना के रूपांकन वर्ष जिस प्रकार अलग–अलग दिए गए हैं उसके अनुसार यह भी स्पष्ट नहीं है।

[11] बाद में पंपिंग मैन में 2,000 मीटर कमी कर इसके बजाय राईजिंग लाईन 2,000 मीटर बढ़ा दी गई थी। इस प्रकार इस लाईन की लंबाई 7,870 मीटर कर दी गई है। लेकिन, डीपीआर में वर्णित तथा अतिरिक्त बढ़ाई गई लाईनों में ज्यादातर राईजिंग लाईन ही है। शायद ही कहीं इनका उपयोग वितरण लाईन की तरह हो।

का स्तरहीन काम सामने नहीं आ पाया था।[12] लेकिन दुख की बात है कि एक ही दस्तावेज में वर्णित इन विरोधाभाषी तथ्यों और आँकड़ों पर किसी भी स्तर पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब किसी ने यह तक देखना जरूरी नहीं समझा कि डीपीआर पर इसे तैयार करने वाली फर्म के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है या नहीं?[13]

डीपीआर में इतनी सारी और बड़ी गलतियों से यह भी संदेह होता है कि इसमें प्रस्तुत कई आँकड़े का आधार नहीं हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि सलाहकार को आखिर लाखों रूपए किस काम के दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डीपीआर की पड़ताल नगरीय निकाय तथा राज्य शासन दोनों स्तरों पर होती है। राज्य स्तर पर जाँच के बाद ही योजना की तकनीकी[14] एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

सलाहकार की नियुक्ति

नगरपालिका ने 25 सितंबर 2005 को सलाहकार चयन हेतु निविदा जारी की जिस पर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2005 को भोपाल की कंसलटेंसी फर्म वास्तुशिल्पी, शिरीष गर्ग, और सोनी एण्ड एसोसिएट्स ने अपनी–अपनी निविदाएँ प्रस्तुत की। वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट्स एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमिटेड (संक्षेप में वास्तुशिल्पी), शिरीष गर्ग और सोनी एण्ड एसोसिएट्स ने अपनी दरें योजना लागत की क्रमशः 1.5%, 2% एवं 3% प्रस्तुत की थी। टेण्डर दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि केवल वास्तुशिल्पी ने ही टेण्डर दस्तावेज विधिवत् प्रस्तुत किए थे। शिरीष गर्ग ने अपने अनुभव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी तथा सोनी एण्ड एसोसिएट्स ने तो अमानत राशि तक का भुगतान नहीं किया था।[15] इस प्रकार केवल एकमात्र निविदाकार वास्तुशिल्पी द्वारा ही निविदा प्रस्तुत की गई थी ऐसे मामलों में दुबारा निविदा आमंत्रण[16] किया जाता है लेकिन इटारसी में ऐसा नहीं किया गया और इटारसी की जलप्रदाय और जलनिकासी[17] की योजना तैयार करने और उसकी निगरानी हेतु भोपाल की फर्म वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट्स एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमिटेड (संक्षेप में वास्तुशिल्पी) को 1.5% की दर पर ठेका दिया गया।

सामान्यतः देखा गया है कि निविदा प्रपत्र में भाव बहुत ही प्रतिस्पर्द्धात्मक होते हैं और जलप्रदाय जैसी करोड़ों की योजनाओं में तो भाव दशमलव के दूसरे अंक तक प्रतियोगी होते हैं। लेकिन इटारसी में प्रस्तुत की गई 1.5%, 2% एवं 3% की दरें बिल्कुल भी प्रतियोगी और विश्वसनीय नहीं थी। यदि इसे सरल तरीके कहें तो इटारसी के इस एक ही काम का एक फर्म 75 लाख महनताना चाहती थी तो दूसरी फर्में क्रमशः एक और डेढ़ करोड़। व्यवहार में ऐसा कहीं दिखाई देना असंभव सा है।

---

[12] नगरपालिका द्वारा नई योजना के आकल्पन से लेकर निर्माण तक जन संवाद का कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक कि निर्वाचित पार्षदों तक को इस प्रक्रिया से दूर रखा गया। 28 जून 2008 के बाद (30 मार्च 2010 के परिषद के विशेष सम्मेलन को छोड़कर जब कंसलटेंट की फीस दूसरी बार संशोधित कर योजना लागत का 1% किया गया।) योजना से संबंधी सारे निर्णय अध्यक्षीय परिषद में लिए गए।

[13] डीपीआर पृष्ठ-81. डीपीआर में वास्तुशिल्पी की ओर से किसी के हस्ताक्षर नहीं है सिर्फ नगरपालिका की ओर से सीएमओ के हस्ताक्षर हैं।

[14] जब यह योजना बनी तब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी समिति अस्तित्व में थी।

[15] बगैर अनुभव प्रमाण–पत्र दिखाए टेण्डर फार्म कैसे जारी हो गए तथा बगैर अमानत राशि के निविदा कैसे स्वीकार कर ली गई यह जाँच का विषय है।

[16] महावीर कंस्ट्रक्शंस की एकमात्र निविदा प्राप्त होने के कारण इसे निरस्त कर दूसरी बार निविदा बुलवाई।

[17] बाद में इसमें सड़क उन्नयन योजना भी जोड़ दी गई।

लेकिन एकमात्र प्राप्त निविदा को ही नगरपालिका ने 7 अक्टूबर 2005 को कम दरों के आधार पर स्वीकृत कर 22 नवंबर 2005 को जलप्रदाय योजना एवं सिवरेज सिस्टम बनाने हेतु कंसलटेंसी फर्म वास्तुशिल्पी से योजना लागत की 1.5% फीस[18] पर अनुबंध कर लिया। कंसलटेंट के कामों[19] में ये भी शामिल हैं –

- योजना को वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने हेतु उचित जलदरों और उनकी वसूली का तरीका सुझाना।
- टेण्डर बुलाने में नगरपालिका का सहयोग। जरूरत होने पर टेण्डर का मूल्यांकन और सर्वोत्तम निविदाकार का चयन।
- योजना कार्यों की निगरानी और निर्धारित समयसीमा में काम पूर्ण करने में नपा को सहयोग करना।

बाद में नगरपालिका को कंसलटेंसी फीस अधिक महसूस होने पर पुनः निगोशिएशन की प्रक्रिया के तहत 23 फरवरी 2006 को कंसलटेंट दरों में निगोशिएशन हेतु नगरपालिका कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में तत्कालीन सांसद की उपस्थिति में अधिकारियों से हुई चर्चा में कंसलटेंट योजना लागत की 0.5% फीस पर सहमत हो गए और अनुबंध के पहले पन्ने पर 1.5% फीस को ओवरराईटिंग कर 0.5% कर दिया। अनुबंध पर ओवरराईटिंग वाले स्थान के पास कंसलटेंट फर्म के प्रमुख श्री दीप अग्रवाल ने प्रतिहस्ताक्षर कर दिए। नगरपालिका परिषद ने 23 मार्च 2007 को प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि कर दी। नगरपालिका प्रस्ताव के आधार पर सीएमओ ने उसी दिन कंसलटेंसी फर्म को पत्र लिखकर पुनरीक्षित अनुबंध करने का लेख किया जबकि नए अनुबंध की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सलाहकार ने ओवरराईटिंग से किए गए संशोधन में अपने प्रतिहस्ताक्षर कर दिए थे।[20]

कंसलटेंट ने अपने पत्र 30 जुलाई 2007 में नगरपालिका को पत्र लिखकर बताया कि वह अपनी फीस कम नहीं करेंगें। पत्र में वैधानिक कार्यवाही की धमकी देते हुए कहा कि यह काम हम ही करेंगें और इसी दर से करेंगें। साथ ही कंसलटेंट ने यह समझाने का प्रयास किया था कि यूआईडीएसएसएमटी में कंसलटेंसी के लिए शासन से अलग भुगतान का प्रावधान है और इससे नगरपालिका पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।[21] लेकिन कंसलटेंट शायद भूल गए कि पैसा नगरपालिका का खर्च हो या राज्य शासन का अंततः वह है तो जनता का ही। और जनता को तो उसका भार उठाना ही पड़ेगा।

कंसलटेंसी फर्म ने 30 अप्रैल 2007, 21 नवंबर 2007 और 31 अगस्त 2008 द्वारा दरों में परिवर्तन से इंकार किया लेकिन नगरपालिका ने इसके खण्डन में एक भी पत्र नहीं लिखा।

अंततः कंसलटेंसी फीस की दर संबंधी विवाद की जाँच हेतु राज्य शासन द्वारा 29 दिसंबर 2008 को एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य अभियंता, उप संचालक ओर लेखाधिकारी शामिल थे। लेकिन समिति ने संबद्ध पक्षों से चर्चा किए बगैर तथा दस्तावेजी

---

[18] यह फीस बहुत ज्यादा है। इसी फर्म ने होशंगाबाद और बड़वानी की जलप्रदाय योजनाओं का ठेका योजना लागत के क्रमशः 0.9% और 1% में लिया है। पिपरिया में कंसलटेंट के टेण्डर प्रक्रिया में अवैधानिक गतिविधियों की संभावना है इस कारण वहाँ का ठेका इटारसी से भी ऊँचा 2% में दिया गया है

[19] बाद मे पता चल रहा है कि कंसलटेंट ने इनमें से कोई भी काम ठीक से नहीं किया।

[20] यदि नया अनुबंध करना भी था तो उसी दिन करवा लिया जाना था। नगरपालिका परिषद इस संशोधित अनुबंध की पुष्टि कर सकती थी लेकिन लगता है कि ऐसा सोचसमझकर किया गया।

[21] कंसलटेंट ने बाद के पत्रों में भी यही समझाना जारी रखा ताकि उसकी कंसलटेंसी फीस कम न हो पाए।

प्रमाणों के विरूद्ध सलाहकार को फायदा पहुँचाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति द्वारा अनुबंध पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि –

''अनुबंध में दर्शाई गई दर ओवर राईटिंग कर 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.5% लिखा गया है तथा इसके सामने कंसलटेंसी संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी है।''

संशोधन पर प्रतिहस्ताक्षर इस बात का प्रमाण है कि कंसलटेंट इससे सहमत है लेकिन इसके बावजूद कंसलटेंसी फर्म को फायदा पहुँचाने के लिए समिति ने यह हास्यास्पद मत व्यक्त कर दिया कि –

''यह ज्ञात किया जाना संभव नहीं है कि उक्त ओवरराईटिंग कंसलटेंसी संस्था के सामने उसकी सहमति से की गई है या कंसलटेंसी फर्म की अनुपस्थिति में।'

अनुपस्थिति में कोई अपने हस्ताक्षर कैसे कर सकता है यह समझ से परे हैं। रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया है जिससे यह समझा जा सके कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अनुपस्थित रहते हुए उस स्थान पर रखे गए कागजी (हार्ड) दस्तावेज पर हस्ताक्षर कैस कर सकता है। उल्लेखनीय है कि ओवरराईटिंग के स्थान पर कंसलटेंसी फर्म के हस्ताक्षर होना सिद्ध करता है कि संशोधन सहमति से हुआ था।

इसलिए रिपोर्ट के किसी भी तथ्य की पुष्टि के लिए संबंधित पक्षों का मत जाने बगैर निष्कर्ष निकाल लिया कि अनुबंध में विधिसम्मत संशोधन नहीं हुआ है इसलिए पुनः अनुबंध करना चाहिए। इस रिपोर्ट से उस समय की लागत के हिसाब से 25 लाख का अतिरिक्त फायदा कंसलटेंसी फर्म को पहुँचा गया था। योजना की लागत बढ़ते रहने से यह फायदा भी बढ़ता रहेगा।

इस रिपोर्ट के अनुसार[22] वास्तुशिल्पी को 23 जनवरी 2010 को दरों पर निगोशिएशन हेतु आमंत्रित किया गया। निगोशिएशन में वास्तुशिल्पी ने अपनी और से 1.05% की दर प्रस्तावित की थी जो 1% पर तय हुई।[23]

इस ठेके में फर्म के प्रति पक्षपात करते हेतु अवैधानिक प्रक्रियाएँ अपनाई गई।

नई योजना की निविदा प्रक्रिया

1381.37 लाख लागत की नई जलप्रदाय योजना की पहली निविदा 13 दिसंबर 2007 को जारी की गई थी। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ाने के बावजूद एकमात्र निविदा प्राप्त हुई थी।[24] जिस कारण उसी निविदा को 14 मार्च 2008 को दूसरी बार आमंत्रित किया गया।

इस बार निर्धारित समयावधि तक दोशियन लिमिटेड (अहमदाबाद) एवं हाईड्रोटेक इंटरप्रायजेस (नई दिल्ली) की निविदाएँ प्राप्त हुई। 26.12 करोड़ की न्यूनतम निविदा दोशियन लिमिटेड ने प्रस्तुत की थी। बिड खोलने के बाद दोशियन के खिलाफ तापी प्रि–स्ट्रेस्ड और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने आपत्तियाँ दर्ज करवाकर दोशियान को लाभ पहुँचाने के लिए पात्रता मापदण्डों की अनदेखी करने का

---

[22] मुख्य अभियंता के सीएमओ को निर्देश दिनांक 8 दिसंबर 2009

[23] परिषद के सम्मेलन दिनांक 30 मार्च 2010 में कंसलटेंसी की नई दरों को स्वीकृति दी गई। इसके आधार पर 1529.29 लाख की जलप्रदाय योजना, 844.57 लाख सड़क उन्नयन योजना और 708.32 लाख 23 की जलमल निकासी योजना (कुल योजना राशि 3082.29 लाख) हेतु संशोधित अनुबंध 7 अप्रैल 2010 को किया गया। ये दरें स्वीकृत लागतें हैं वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक हैं।

[24] महावीर कंस्ट्रक्शंस ने 2380 लाख की निविदा प्रस्तुत की थी।

आरोप लगाया था।[25] लेकिन इन आरोपों की जॉच में कुछ आरोप सही पाए जाने के बावजूद दोशियन का टेण्डर निरस्त नहीं किया गया।

हालांकि 9 मई 2008 को शिकायतों की जानकारी आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं अधीक्षण यंत्री को प्रेषित की गई। लेकिन शिकायतों की जॉच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बगैर दोशियन की दरों की स्वीकृती हेतु इसी दिन सीएमओ ने जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आहूत करने हेतु परियोजना अधिकारी को भी पत्र लिख दिया।

दोशियन द्वारा प्रस्तुत टेण्डर 26.12 करोड़ केन्द्र सरकार से इस योजना की स्वीकृत लागत से काफी अधिक होने पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति के सुझााव पर दोशियन से निगोशिएशन किया लेकिन दोशियन योजना लागत में मात्र 1 लाख की कमी करने यानी 26.11 करोड़ पर राजी हुई।[26] नगरपालिका की अध्यक्षीय परिषद द्वारा 28 जून 2008 को योजना को स्वीकृत कर हड़बड़ी में 10 जुलाई 2008 को लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) जारी कर दिया।

न्यूनतम टेण्डर 26.11 करोड़ का प्राप्त होने पर नगरपालिका के सामने समस्या थी कि योजना के लिए अंतर राशि की व्यवस्था कहाँ से की जाए क्योंकि योजना की मूल स्वीकृत राशि से निविदा उपरांत बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की थी।[27] नगरपालिका ने अंतर राशि 12 करोड़ की शासन से अनुदान की माँग की।[28] लेकिन इसी दौरान 6 अगस्त 2008 को निविदा की वैद्यता समाप्त हो गई।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति[29] की बैठक दिनांक 12 जनवरी 2009 में वर्तमान बाजार दर को ध्यान में रखते हुए निविदा राशि कम करने हेतु 27 जनवरी 2009 तक निगोशिएशन करने को कहा। लेकिन दोशियन कंपनी अड़ गई। उसने नगरपालिका कहा कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाने के बाद फिर से निगोशिएशन उचित नहीं है तथा कंपनी द्वारा तय की गई निविदा दर अंतिम है। नगरपालिका के लेटर ऑफ इंटेंट के भरोसे इस योजना पर 1 करोड़ रूपए खर्च दिए हैं। हालांकि कंपनी इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया कि पैसे कहॉ खर्च किए है लेकिन इसके बावजूद नगरपालिका द्वारा अनुबंध न करने की स्थिति में कंपनी मामले को उचित फोरम पर ले जाने की चेतावनी दी[30] और बाद में कार्रवाई की भी।

इसके जवाब में नगरपालिका ने दोशियन लिमिटेड की कार्रवाई को 'समझ से परे' बताते हुए कहा कि कंपनी को अनुबंध के बाद ही कोई कार्रवाई करनी थी। शासन से स्वीकृत राशि के उपरांत बढ़ी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है जिसके लिए शासन से 12 करोड़ का

---

[25] तापी प्रि–स्ट्रेस्ड के अनुसार दोशियन को RCC ओवरहेड टेंक तथा इंटेकवेल निर्माण का अनुभव नहीं है। इसी प्रकार किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने अनुसार (1) दोशियन को केवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अनुभव है। जबकि उसे पाईपलाईन, पंप हाउस, और रिजरवायर का भी अनुभव होना चाहिए तथा (2) बिडर ने राज्य तथा केन्द्र सरकार का पंजीयन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। तथा NIT की शर्त के अनुसार अनुभव प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के विभाग का होना चाहिए जबकि दोशियन ने वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सर्टिफिकेट लगाया है जो पूर्णत: निजी कंपनी है।

[26] सीएमओ का आयुक्त को संबोधित पत्र दिनांक 28 जून 2008. योजना की स्वीकृत लागत 14.6783 करोड़

[27] अधीक्षण यंत्री का सीएमओ को संबोधित पत्र दिनांक 19 अगस्त 2008

[28] कमिश्नर का सीएमओ को संबोधित पत्र दिनांक 24 सितंबर 2008

[29] राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति भंग की जा चुकी थी।

[30] दोशियन लिमिटेड का सीएमओ को संबोधित पत्र दिनांक 26 जनवरी 2009

शासन से अनुदान चाहा गया है।[31] इसके बाद 24 जनवरी 2009 को आयोजित निगोशिएशन संबंधी मीटिंग में कंपनी के प्रतिनिधि ने ऑफर प्रस्तुत करने हेतु 27 जनवरी 2009 तक का समय चाहा था लेकिन ऑफर प्रस्तुत नहीं पर 25 फरवरी 2009 की अध्यक्षीय परिषद की बैठक में दोशियन की निविदा अस्वीकृत कर दी गई।

निगोशिएशन में आनाकानी करने वाले दोशियन ने पलटी मारते हुए 28 फरवरी 2009 को दरों में 5.6 प्रतिशत छूट देते हुए नया ऑफर 24.65 करोड़ का प्रस्तुत किया। इस ऑफर के साथ पाईप मटेरियल बदलने और सर्विस टेक्स की प्रतिपूर्ति की शर्त रखी गई थी। नगरपालिका द्वारा इस ऑफर पर तवज्जो नहीं दिए जाने पर दोशियन ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अध्यक्षीय परिषद द्वारा टेण्डर निरस्त करने को चुनौती दी।[32] जस्टिस केके लाहोटी और जस्टिस केएस चौहान की पीठ द्वारा इस मामले के गुणदोष पर चर्चा किए बगैर संक्षिप्त आदेश दिया कि याचिकाकर्त्ता निगोशिएशन का इरादा जाहिर करते हुए अगले दो सप्ताह में संशोधित ऑफर प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने पर नगरपालिका नियमानुसार शीघ्रता से उस पर विचार करेगा।

हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में दोशियन द्वारा पुनः प्रस्तुत 24.5434 करोड़ के ऑफर पर सीएमओ ने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर अपना ओपिनियन दिया कि (1) निविदा निरस्त किए जाने के बाद ऑफर पर विचार विधिसम्मत नहीं है। तथा (2) DI के बजाय CI पाईप का उपयोग इस प्रकार की योजना के अनुरूप नहीं है। लेकिन अंतिम निर्णय उच्चाधिकारियों पर छोड़ दिया।[33]

कंसलटेंट वास्तुशिल्पी ने दोशियन द्वारा प्रस्तुत 24.5434 करोड़ के ऑफर का मूल्यांकन 24.4486 करोड़ किया जिसे 27 जुलाई 2009 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने और बाद में 11 अगस्त 2009 को अध्यक्षीय समिति ने स्वीकृति दे दी। 5 किमी की DI पाईपलाईन को कम कीमत के CI में बदल दिया। इस प्रकार लागत में कमी मात्र 1 करोड़ 56 लाख 66 हजार की हुई जबकि कंपनी द्वारा वहन किए जाने वाले 1 करोड़ 60 लाख 16 हजार के सर्विस टेक्स, श्रमिक कल्याण उपकर आदि की जिम्मेदारी नगरपालिका पर डाल दी। कहने का अर्थ है कि पाईप मटेरियल बदलने के बावजूद परियोजना की लागत में कमी करने के बजाय 3 लाख 50 हजार की बढ़ोत्तरी कर दी। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और अंततः 16 अक्टूबर 2009 को दोशियन के साथ अनुबंध कर लिया गया।

लोकल फण्ड ऑडिट की दोशियन को पाईप लाईन के लिए निर्धारित राशि की अपेक्षा 96,28,401 के अधिक भुगतान तथा ड्राईंग डिजाईन के 86,59,000 के भुगतान पर आपत्ति ली।[34] एक पार्षद द्वारा इस संबंध में नगरपालिका से स्पष्टीकरण माँगे जाने वाले पत्र[35] में कड़ी टिप्पणी की –

---

[31] सीएमओ का दोशियन का पत्र दिनांक 17 फरवरी 2009

[32] Writ Petition No. 3797/2009 dated 4th अप्रैल 2009

[33] सीएमओ का पत्र दिनांक 15 जुलाई 2009

[34] लोकल ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 14 सितंबर 2010

[35] पार्षद श्री यज्ञदत्त गौर का सीएमओ को संबोधित पत्र दिनांक 16 नवंबर 2010

''इटारसी नगर में शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बनाई जाने वाली योजना नागरिकों को पेयजल प्रदाय करने की अपेक्षा ठेकेदार, आर्किटेक्ट, नगरपालिका अधिकारियों एवं नेताओं की जेब भरने की भ्रष्टाचार आवर्धन योजना बनकर रह गई है।

''अतिरिक्त व्यय 10 करोड़ (योजना की स्वीकृत और वास्तविक लागत में अंतर राशि) की व्यवस्था करने की अपेक्षा नपा अधिकारी, ठेकेदार एवं आर्किटेक्ट का गठजोड़ प्राप्त राशि की बंदरबाँट करने में लगा है।''

इटारसी के पार्षद की यह व्यथा ठीक वैसी ही है जैसी खण्डवा में निजीकृत जलप्रदाय योजना की शिकायतों के निवारण संबंधी शासन द्वार गठित विशेषज्ञों की समिति ने वहाँ के नागरिकों की माँगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि निजी कंपनी के पक्ष में राजनैतिक[36] एवं अधिकारी स्तर पर एक गठजोड़ बन गई थी तथा लगता है कि खण्डवा में पानी के निजीकरण तथा खास कंपनी से अनुबंध करने का फैसला पहले से ही कर लिया गया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई की जा रही थी।

नगरपालिका ने दोशियन द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग एवं डिज़ाईन के 86,59,000 लाख के बिल को निविदा शर्तों, अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुरूप बताया[37] जबकि वास्तव में यह काम कंसलटेंट का था। केवल इतना ही नहीं नगरीय निकाय के ओएसडी (विशेष कर्तव्स्थ अधिकारी)ने भी इस मामले में दोशियन की तरफदारी करते हुए उसे ड्राईंग एवं डिज़ाईन की राशि का भुगतान करने का अभिमत व्यक्त किया।[38] इस अभिमत के अनुसार –

''विस्तृत ड्राईंग डिज़ाईन बनाने का भुगतान वास्तुशिल्पी को नहीं किया जाना है। सलाहकार को डीपीआर तैयार करने एवं निर्माण कार्य के सुपरविजन हेतु परामर्श शुल्क दिया जाना है। यदि निकाय सलाहकार से सुपरविजन का कार्य कराती है।

''उल्लेखनीय है कि एक मुश्त निविदा प्रपत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं में भी विस्तृत ड्राईंग डिज़ाईन तैयार करने का दायित्व ठेकेदार को ही दिया जाता है। ताकि निविदा राशि न्यूनतम हो सके ..... अतः ठेकेदार को विस्तृत डाईंग डिजाईन का भुगतान करना उचित है।''

यह अभिमत अवैधानिक तरीके से दोशियन को फायदा पहुँचाने हेतु व्यक्त किया गया है। क्योंकि कंसलटेंट वास्तुशिल्पी के साथ किए अनुबंध की कण्डिका 9 के अनुसार प्रस्तावित योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी डिजाईन, प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी जानकारी एवं प्रपत्र निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप बनाना एव सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उक्त योजना प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार सुधार करना कंसलटेंट का ही काम है।

---

[36] इटारसी में दोशियन को दी गई समयवृद्धि में स्पष्ट किया था कि कंपनी को लागत वृद्धि नहीं दी जाएगी। साथ ही कंपनी पर 0.01% आर्थिक दण्ड भी आरोपित किया गया। खण्डवा में ऐसा नहीं किया गया था।

[37] सीएमओ का पार्षद श्री यज्ञदत्त गौर को संबोधित पत्र दिनांक 18 दिसंबर 2010

[38] नगरीय निकाय के ओएसडी का अभिमत दिनांक 1 अप्रैल 2011

ओएसडी द्वारा अपने अभिमत में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तपोषित योजनाओं का उल्लेख संदर्भ से परे एवं अनावश्यक होकर स्पष्ट मामले में भ्रम पैदा करने का प्रयास था। यह योजना यूआईडीएसएसएमटी के तहत स्वीकृत है और इसकी शर्तें अलग है।

शायद इन्हीं कारणों से योजना का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। जो योजना 21 अप्रैल 2011 तक पूरी हो जानी थी उसके लिए तीन बार[39] एक–एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाई गई लेकिन काम अभी भी अधूरा है।

7 मार्च 2012 को समयसीमा बढ़ाते समय इंटेक वेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अन्य कार्य भी बढ़ाई गई समयसीमा में पूर्ण करने की शर्त रखी गई थी। लेकिन ये सारे काम अभी भी अधूरे हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि 18 सितंबर 2013 को समयसीमा बढ़ाते समय दोशियन से एक्टिविटी कलेण्डर प्रस्तुत कर उसके अनुसार काम करने की शर्त रखी गई थी। लेकिन दोशियन ने बढ़ाई गई एक वर्ष वर्ष की समयसीमा की समाप्ति के 10 दिन पहले 11 अप्रैल 2014 को एक्टिविटी केलेण्डर प्रस्तुत किया। इस बार दोशियन ने 31 दिसंबर 2014 तक कार्य पूर्ण करने का फिर से आश्वासन दिया था लेकिन सच्चाई हमारे सामने हैं।

- पहले डेढ़ वर्षों में जब परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी तब तक केवल क्लियर वाटर मैन असंतोषजनक तरीके से डाली गई थी। 5 ओवरहेड टंकियों में से सिर्फ एक 80% काम हुआ था। कुछ टंकियों का तो स्थल चयन हीं नहीं हो पाया था। दोशियन ने समय पर काम नहीं हो पाने का कारण दिया कि अक्टूबर 2010 तक वर्षाकाल होने तथा नहर का पानी भरा होने के कारण काम में देरी हुई। ठेकेदार का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि योजना निर्माण में वर्षाकाल शामिल होता था तथा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कंपनियाँ निर्माण स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करती है। उन्हें पता होता है कि खेतों में उन दिनों काम नहीं किया जा सकता जब उनमें फसलें खड़ी होती है। इस अवधि में दूसरा काम जारी रखा जाता है ताकि योजना पिछड़े नहीं।

- 7 अप्रैल 2012 को समयसीमा दूसरी बार बढ़ाते हुए अध्यक्षीय परिषद द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि ठेकेदार इंटेक वेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अन्य कार्य भी बढ़ाई गई समयसीमा में पूर्ण करेंगें। इसका अर्थ है कि ये काम नहीं हुए थे। इस बार यह भी स्पष्ट किया गया था कि बढ़ी हुई समयसीमा के दौरान किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन 29 अगस्त 2012 के पत्र में सीएमओ ने ठेकेदार द्वारा काम बंद/कम गति से करने पर असंतोष जताते हुए काम की गति बढ़ाकर समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का निवेदन किया। काम समय पर पूर्ण न करने पर अमानत राशि और सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त कर ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर नई निविदा आमंत्रित कर अन्य एजेंसी से कार्य करवाने की चेतावनी दी। इस

[39] दोशियन को 22 अक्टूबर 2009 को कार्यादेश जारी किया गया था। निविदा के अनुसार योजना का काम वर्षाकाल सहित 18 माह यानी 21 अप्रैल 2011 तक काम पूरा करने की शर्त थी। लेकिन सबसे पहले 29 अप्रैल 2011 को 21 अप्रैल 2012 तक, 7 अप्रैल 2012 को 21 अप्रैल 2013 तक और 18 सितंबर 2013 को 21 अप्रैल 2014 तक बढ़ाई गई।

पत्र में कार्य की जो अद्यतन स्थिति बताई गई वह समयसीमा बढ़ाने के समय के बराबर ही थी।

- 18 सितंबर 2013 को अध्यक्षीय परिषद ठेकेदार को समयवृद्धि देते हुए चिंता व्यक्त की कि समयवृद्धि के बावजूद उसने कार्य पूर्ण नहीं किए। साथ ही कंपनी पर 0.01 प्रतिशत का आर्थिक दण्ड आरोपित करते हुए 21 अप्रैल 2014 तक समयसीमा बढ़ाई गई। साथ ही किसी भी प्रकार की दर वृद्धि देने से इंकार किया गया। निर्धारित स्थिति में काम पूरा न करने पर दाण्डिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

लेकिन दोशियन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। 19 जुलाई 2014 को जिला कलेक्टर द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि दोशियन ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और रेल्वे की एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं की। मेहराघाट स्थित पंप हाउस एवं जलशोधन गृह में विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही शेष। इंटेकवेल, ट्रीटमेंट प्लांट, क्लीयर वाटर राईजिंग मैन, फीडर मैन आदि का काम एक्टिविटी कैलेण्डर के अनुसार नहीं है।

इटारसी की जलप्रदाय आवर्धन योजना के लिए दोशियन लिमिटेड से अनुबंध 16 अक्टूबर 2009 तथा कार्यादेश 22 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया। अनुबंध के 8 वें बिंदु में निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं किए जाने पर कटौती के माध्यम से आर्थिक दण्ड के प्रावधान की शर्त थी। निविदा प्रपत्र के अनुसार वर्षाकाल सहित 18 माह यानी 21 अप्रैल 2011 तक काम पूरा करने की शर्त थी लेकिन यह काम आज करीब साढ़े पाँच वर्षों बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। योजना के हर घटक यानी इंटेकवेल, ट्रीटमेंट प्लांट, पाईप लाईनों आदि में से किसी का भी काम पूर्ण नहीं हो पाया है। कुछ ओवरहेड टंकियों का काम शुरू भी नहीं हो पाया। मध्यप्रदेश की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अनुसार इटारसी की योजना अत्यधिक पिछड़ी हुई है। योजना की इस दुर्गति के कारणों में बगैर किसी विचार–विमर्श के हड़बड़ी में योजना स्वीकार करना, कंसलटेंसी फर्म और निर्माण एजेंसी का अवैधानिक तरीके से चयन, योजना के बारे में आम जनता और निवार्चित जनप्रतिधियों से गोपानीयता बरतना आदि प्रमुख हैं। इसकी कीमत इटारसी के नागरिकों को लम्बे समय तक चुकानी होगी।

संदर्भ

- जेएनएनयूआरएम/यूआडीएसएसमटी के दिशा निर्देश, वित्तीय आवंटन
- मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना और जल निगम से संबंधित नीति निर्देश, सर्कुलर, टेण्डर दस्तावेज
- इटारसी जलप्रदाय योजना के सलाहकार हेतु की गई टेण्डर प्रक्रिया
- इटारसी जलप्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रपट
- इटारसी जलप्रदाय योजना की टेण्डर प्रक्रिया
- इटारसी जलप्रदाय योजना संबंधी पत्र–व्यवहार
- इटारसी जलप्रदाय योजना संबंधी नोटशीटें